

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94 वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 3 के अन्तर्गत Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations 1994 के अध्याय-4 के नियम 4.8, 4.9, 4.10 तथा Syllabi and Courses of Study for +I Class के नियम 14 ELIGIBILITY FOR PRIVATE CANDIDATES में निम्न दर्शाए नियमों का समावेश कर लागू करने का निर्णय लिया:-

4.8 WHO CAN BE A PRIVATE CANDIDATE FOR MIDDLE STANDARD EXAMINATION:-

4.8.5 No candidate who has passed equivalent or higher examination of any other Board/University.

4.9 WHO CAN BE A PRIVATE CANDIDATE FOR MATRICULATION EXAMINATION:-

4.9.6 No candidate who has passed equivalent or higher examination of any other Board/University;

4.10 WHO CAN BE A PRIVATE CANDIDATE FOR SENIOR SECONDARY (TEN PLUS TWO) EXAMINATION:-

4.10.5 No candidate who has passed equivalent or higher examination of any other Board/University;

जमा एक कक्षा के परीक्षार्थियों के लिए SYLLABI AND COURSES OF STUDY FOR PLUS ONE के नियम 14 ELIGIBILITY FOR PRIVATE CANDIDATES.

(vi) No candidate who has passed equivalent or higher examination of any other Board/University;

बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त दर्शाए नियमों के प्रावधान का समावेश निजी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों में भी मुद्रित किया जाए ।

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 4 के अन्तर्गत Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations-1994 के अध्याय-9 के नियम 9.4 के उप नियम 9.4.2 (ii) में दर्शाए अंग्रेजी भाषा के शब्द “PGT” को Delete कर, के स्थान पर “Lecturer” शब्द को Insert कर नियम को निम्नानुसार लागू करने का निर्णय लिया:-

9.4 QUALIFICATION/DISQUALIFICATION FOR THE APPOINTMENT OF SUPERINTENDENT:-

9.4.2 A teacher must ordinarily possess the following minimum qualifications to be eligible for appointment as Centre Superintendent in different categories of examination centres:

- (ii) Must have satisfactorily worked at least as Deputy Superintendent twice at any examination conducted by any University/ Board and must be for ;

Category	Qualifications.
A (College)	Lecturer of College cadre with at least 5 years experience of teaching college classes.
B (Sr. Sec. School)	Lecturer of school cadre with at least 5 years experience of teaching Senior Secondary Classes .
C (High School)	TGT with 10 years experience. or C & V with 15 years experience.
D(Middle School)	TGT with 10 years experience, or C&V with 15 years experience.

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 5 के अन्तर्गत Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations-1994 के अध्याय- 10 के नियम 10.4 U.M.C. COMMITTEE के उप नियम 10.4.2 में दर्शाए अंक तथा शब्द “12 to 15” को Delete कर, के स्थान पर अंक “30” को Insert कर नियम 10.4.2 को निम्न दर्शाए अनुसार लागू करने का निर्णय लिया :-

10.4 UMC COMMITTEE:

10.4.2 For the purpose of constituting U.M.C Committees the Board shall approve a panel 30 officers serving or retired having adequate experience in the field of education, administration or judiciary. The Secretary shall be ex-officio member on the panel.

सचिव

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला - 176700

क्रमांक:हि.शि.बो.(2)/सा०/बोर्ड 94वीं बैठक/मद 6 /09-

दिनांक:

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 6 के अन्तर्गत Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations-1994 के अध्याय- 11 के नियम 11.2 **QUALIFICATIONS FOR PAPER SETTERS** के उप नियम 11.2.1 तथा 11.4 MODERATION के उप नियम 11.4.1 के निम्न अनुमोदित संशोधित नियम को लागू करने का निर्णय लिया :-

EXISTING RULES	APPROVED RULES
<p>11.2 QUALIFICATIONS FOR PAPER SETTERS</p> <p>11.2.1 The persons appointed paper setters shall possess the following qualification:</p> <p>I. FOR SENIOR SECONDARY EXAMINATIONS:</p> <p>(i) A PGT/ Lecturer with at least 20 years teaching experience.</p> <p>II . FOR MTRICULATION/ MIDDLE EXAMINATION:</p> <p>(i) A TGT with 20 years teaching experience.</p>	<p>11.2 QUALIFICATIONS FOR PAPER SETTERS</p> <p>11.2.1 The persons appointed paper setters shall possess the following qualification:</p> <p>I. FOR SENIOR SECONDARY EXAMINATIONS:</p> <p>(i) A Lecturer with at least 10 years teaching experience.</p> <p>II. FOR MATRICULATION/ MIDDLE EXAMINATION:</p> <p>(i) A TGT with 15 years teaching experience.</p>
<p>11.4 MODERATION</p> <p>11.4.1 Most of the question papers shall be moderated by a team of moderators consisting of eminent scholars having at least 15 years experience in the concerned subject to see their correctness and consistency with curriculum.</p>	<p>11.4 MODERATION</p> <p>11.4.1 Most of the question papers shall be moderated by a team of moderators consisting of eminent scholars having at least 10 years experience as lecturer for Senior Secondary Certificate examination (Plus one & Plus Two) and 15 years experience for Middle/Matriculation Examination in the concerned subject to see their correctness and consistency with curriculum.</p>

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 7 के अन्तर्गत Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations 1994 के अध्याय-15 Scholarships के नियम 15.5 Eligibility के उपनियम 15.5.1 अनुमोदित नियम (Approved Rule) को लागू करने का निर्णय लिया:-

EXISTING RULE	APPROVED RULE
15.5.1 He will cease to receive scholarship if he fails in an examination during the course of studies.	15.5.1 He will cease to receive scholarship if he fails in an examination or involves in ragging during the course of studies.

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29-7-2009 की मद सं० 9 के अन्तर्गत Government of Himachal Pradesh Department of Education के पत्र संख्या EDN-A-Ka (3)-6/2009 दिनांक 27/03/2009 (Prohibition of Ragging) Ordinance 2009 के अंतर्गत सम्बद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में Ragging के मामले पर की जाने वाली निम्न दर्शाई कार्यवाही का समावेश सम्बद्धता विनियम 1996 में करने का निर्णय लिया:-

“कोई भी विद्यार्थी किसी भी शैक्षणिक संस्थान परिसर के भीतर याइसके बाहर रैगिंग करता है तो, दोषसिद्धि पर उसे तीन वर्ष का कारावास या 50,000/- रुपये का जुर्माना होगा, या दोनों से उसे दण्डित किया जाएगा। निष्कासित छात्र को ऐसे निष्कासन के आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक किसी भी अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा यदि किसी शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख (हेड) उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए, सीधे तौर पर या मुख्यतः पर्यवेक्षण का प्रभारी कोई अधिकारी होने के नाते जान बूझकर जांच-पड़ताल नहीं करता है और रिपोर्ट नहीं करता है या अपराध करने में मौनानुमति देता है या दुष्प्रेरित करता है, तो उसे दो वर्ष का कारावास या 50,000/-रुपये का जुर्माना होगा या दोनो से दण्डित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जब कभी भी छात्र, माता-पिता या संरक्षक या किसी शैक्षणिक संस्था का अध्यापक या प्रभारी अधिकारी, लिखित में रैगिंग की शिकायत (परिवाद) शैक्षणिक संस्था के प्रमुख (हेड) को करता है, तो उस शैक्षणिक संस्था का प्रमुख (हेड) शिकायत प्राप्त होने के 24 घण्टो के भीतर इसकी जांच करेगा और यदि प्रथमदृष्टया में सही पाई जाती है तो दोषी पाये गये छात्र को निलम्बित करेगा। यदि प्रथमदृष्टया शिकायत गलत पाई जाती है तो वह तथ्य को लिखित में शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

इस अध्यादेश के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और न्यायालय की अनुमति से शमनीय होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि संस्थान में ऐसी पुनरावृत्ति होती है तो उसमें संस्थान के मुख्या/प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा संस्थान को प्रदान की गई संबद्धता को तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा तथा ऐसे संस्थान संबद्धता के लिए आगामी पांच वर्ष तक आवेदन नहीं कर पायेंगे। ”

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29-7-2009 की मद सं० 10 के अन्तर्गत Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations, 1994 के अध्याय-14 के अधीन हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्रों में नाम/माता/पिता/जन्म तिथि में शुद्धि/नाम बदलने तथा गोद लेने वाले माता/पिता का नाम दर्शाने के शुल्क को रूपये 200/- से बढ़ा कर रूपये 400/- निर्धारित करने का निर्णय लिया।

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 11 के अन्तर्गत Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations-1994 के अध्याय 8- CREATION OF EXAMINATION CENTRES के नियम 8.1 के उप नियम 8.1.1 तथा 8.1.3 के निम्न दर्शाए अनुमोदित नियम (Approved Rule) को लागू करने का निर्णय लिया:-

EXISTING RULES	APPROVED RULES
<p>8.1 GENERAL</p> <p>8.1.1 The following four categories of examination centres may be created by the Board in the affiliated institutions:</p> <p>A Centres for +1/+2 in Colleges B Centres for +1/+2 in Schools C Centres for Matric D Centres for Middle</p> <p>8.1.2 All the Centres will be given a code number by the Board.</p> <p>8.1.3 Where category ‘C’ Centres has already been created by the Board, the institution concerned on its up gradation to Senior Secondary School shall have to apply for creation of centre of Category ‘B’ on the prescribed proforma alongwith a fee of Rs.5000/- or as fixed by the Board from time to time.</p>	<p>8.1 GENERAL</p> <p>8.1.1 The following four categories of Examination Centres may be created/up graded by the Board in the affiliated institutions:</p> <p>A Centre for +1 & +2 in Colleges B Centre for +1 & +2 in Schools C Centre for Matric D Centre for Middle</p> <p>8.1.2 All the Centres will be given a code number by the Board.</p> <p>8.1.3 Where category ‘D’ or ‘C’ Centres has already been created/up-graded by the Board, the institution concerned on its up gradation to High or Senior Secondary School shall have to apply for up gradation of centre of Category ‘C’ or ‘B’ on the prescribed proforma alongwith fee as fixed by the Board from time to time.</p>

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29-7-2009 की मद सं० 12 के अन्तर्गत Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations-1994 के अध्याय- 8 CREATION OF EXAMINATION CENTRES के नियम 8.2 के उप नियम 8.2.1 के अनुमोदित नियम (Approved Rule) को लागू करने का निर्णय लिया:-

EXISTING RULES	APPROVED RULES
<p>8.2 PRE REQUISITES FOR THE CREATION OF CENTRE.</p> <p>8.2.1 The Institution applying for creation/up-gradation of an Examination Centre should have:</p> <p>(a) A minimum of 80 and 20 candidates for theory and practical examinations respectively.</p> <p>(b) Adequate number of inter-connected rooms with proper ventilation, lighting arrangements and windows fitted with grills/wire-gauge.</p> <p>(c) There should be separate toilets near the centre for boys and girls.</p> <p>(d) The facility of a Post Office nearby.</p> <p>(e) The availability of a double lock steel Almirah.</p> <p>(f) The institution should not be located at any out of the way place where nadequate security arrangements or effective supervisory control may be difficult.</p>	<p>8.2 PRE REQUISITES FOR THE CREATION OF CENTRE</p> <p>8.2.1 The Institution applying for creation/up-gradation of an Examination Centre should have:</p> <p>(a) A minimum of 70 candidates for category ‘C’ & ‘D’ and 50 candidates for category ‘A’ & ‘B’ for theory and 20 candidates for practical examinations. For Tribal areas, the limit of candidates will be 60 and 40 respectively.</p> <p>(b) Adequate number of inter-connected rooms with proper ventilation, lighting arrangements and windows fitted with grills/wire-gauge.</p> <p>(c) The requisite accommodation, furniture, labs and other infrastructure.</p> <p>(d) There should be separate toilets near the centre for boys and girls.</p> <p>(e) The facility of a Post Office nearby for booking of parcels.</p> <p>(f) The availability of a double lock steel Almirah.</p> <p>(g) The institution should not be located at any out of the way place where adequate security arrangements or effective supervisory control may be difficult.</p>

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं०13 के अन्तर्गत Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations- 1994 के अध्याय 8 CREATION OF EXAMINATION CENTRES के नियम 8.3 MODE OF APPLICATION के अनुमोदित नियम (Approved Rule) 8.3.1 तथा नए उपनियम 8.3.2 तथा 8.3.3 का समावेश Examinaton Regulations, 1994 में कर निम्न दर्शाए अनुसार लागू करने का निर्णय लिया:-

EXISTING RULES	APPROVED RULES
<p>8.3 MODE OF APPLICATION.</p> <p>8.3.1 The institution proposing the creation of a new Centre or Centre for Practical Examination should apply through the concerned Deputy Director/ District Education Officer to the Secretary on the prescribed proforma before the 30th September of the preceding year in which the centre is required to be created.</p>	<p>8.3 MODE OF APPLICATION</p> <p>8.3.1 The Institution proposing the creation of a new Centre or up gradation of centre should apply through the concerned Deputy Director (Education)/ District Education Officer to the Secretary on the prescribed proforma within the following dates of preceding year in which the centre is required to be created/up graded:-</p> <p>(i) Winter Closing Schools: 1st August to 31st August (December Examination)</p> <p>(ii) Summer Closing Schools: 1st September to 30th September (March Examination)</p> <p>8.3.2 The Chairman may, when he considers it appropriate, sanction acceptance of any application form after the expiry of the last date.</p> <p>8.3.3 If it is intended to have a practical centre also, institution concerned shall have to submit a separate application indicating the number of candidates in each practical subject examination-wise likely to appear and facilities of laboratories available.</p>

सचिव

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला - 176700

क्रमांक:हि.शि.बो.(2)/सा०/बोर्ड 94वीं बैठक/मद 14 /09- 5426-5555 दिनांक: 08.09.09

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं०14 के अन्तर्गत Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations 1994 के अध्याय 8 CREATION OF EXAMINATION CENTRES के नियम 8.4 METHOD OF ENQUIRY के उप नियम 8.4.1 के अनुमोदित नियम (Approved Rule) तथा नए अनुमोदित नियम 8.4.2 का समावेश Examination Regulations 1994 में कर निम्न दर्शाए अनुसार लागू करने का निर्णय लिया :-

EXISTING RULES	APPROVED RULES
<p>8.4METHOD OF ENQUIRY</p> <p>8.4.1 An Officer of the Board not below the rank of Assistant Secretary will conduct on the spot enquiry to assess the suitability of the Institution for the creation of an examination centre in the light of the rules and submit his report to the Secretary.</p> <p>The Report submitted by the Officer will be placed before the Examination Committee for consideration and the recommendations of the Examination Committee will be placed before the Board for final decision.</p> <p>In case the Board decides the creation of Centre, the Assistant Secretary (Conduct) will ask the Institution to deposit the prescribed fee before the date prescribed by him.</p> <p>After the necessary fee has been deposited, a code number will be assigned to the Centre.</p>	<p>8.4 METHOD OF ENQUIRY</p> <p>8.4.1 After scrutiny of applications, the Chairman shall appoint an inspection committee of officers/officials of the Board for spot enquiry to assess the suitability of the institution for the creation of an examination centre in the light of the rules.</p> <p>The inspection committee will submit his report to the Secretary and the recommendations of the Secretary will be placed before the Chairman for final decision.</p> <p>In case the Chairman decides the creation of Centre, the Section Officer (Conduct) will ask the institution to deposit the prescribed fee before the date prescribed by him.</p> <p>After the receipt of prescribed fee, a code number will be assigned to the Centre.</p> <p>Applying institute if does not fulfill the criteria or requisite facilities are not available for the smooth conduct of examination, application will be considered as rejected automatically.</p> <p>8.4.2 Where category ‘D or ‘C’ Centre has already been created by the Board, for its up gradation to ‘C’ category or ‘B’ category, the Chairman may pass the order for up-gradation without any inspection on the basis of fair and smooth conduct of previous examinations or may make such enquiry as he may deem necessary.</p>

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 15 के अन्तर्गत Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations 1994 के अध्याय 8 CREATION OF EXAMINATION CENTRES के नियम 8.5 FEE के अनुमोदित नियम (Approved Rule) 8.5.1 व 8.5.2 को निम्न दर्शाए अनुसार लागू करने का निर्णय लिया:-

EXISTING RULES	APPROVED RULES																																																										
<p>8.5 FEE</p> <p>8.5.1 The following fee shall be payable to the Board for the creation of new examination centre:-</p> <p>1) <u>CENTRE CREATION FEE</u></p> <p><u>Category of Centre Fee:</u></p> <table> <tr> <td>Only for A</td> <td>Rs.6000/-</td> </tr> <tr> <td>Only for B</td> <td>Rs.6000/-</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Rs.4000/-</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Rs.2500/-</td> </tr> <tr> <td>C & D</td> <td>Rs.6500/-</td> </tr> </table> <p>2) <u>CENTRE RETENTION FEE:</u></p> <p><u>Category of Centre Fee</u></p> <table> <tr> <td>A</td> <td>Rs.1500/-</td> </tr> <tr> <td>for each subsequent year</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Rs.1500/-</td> </tr> <tr> <td>for each subsequent year</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Rs.1500/-</td> </tr> <tr> <td>for each subsequent year</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Rs. 750/-</td> </tr> <tr> <td>for each subsequent year</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B&C</td> <td>Rs.2500/-</td> </tr> <tr> <td>for each subsequent year</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C&D</td> <td>Rs.2250/-</td> </tr> <tr> <td>for each subsequent year</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B, C&D</td> <td>Rs.3000/-</td> </tr> <tr> <td>for each subsequent year</td> <td></td> </tr> </table> <p>Centre retention fee will only be charged from those centres, who have been created for Middle, Matric examination after 1986 or upgraded for +1/+2 examination after 2001. An exemption of 25% in the centre creation and retention fee shall be given for tribal areas.</p> <p>The schedule of fees may be revised by the Board from time to time.</p> <p>8.5.2 During each year when the number of candidates for theory</p>	Only for A	Rs.6000/-	Only for B	Rs.6000/-	C	Rs.4000/-	D	Rs.2500/-	C & D	Rs.6500/-	A	Rs.1500/-	for each subsequent year		B	Rs.1500/-	for each subsequent year		C	Rs.1500/-	for each subsequent year		D	Rs. 750/-	for each subsequent year		B&C	Rs.2500/-	for each subsequent year		C&D	Rs.2250/-	for each subsequent year		B, C&D	Rs.3000/-	for each subsequent year		<p>8.5 FEE.</p> <p>8.5.1 The following fee shall be payable to the Board for the creation/up gradation of Examination Centre:-</p> <p>1) <u>CENTRE CREATION/UP GRADATION FEE</u></p> <p><u>Category of Centre Fee:</u></p> <table> <tr> <td>Centre for D</td> <td>Rs.2500/-</td> </tr> <tr> <td>Centre for C</td> <td>Rs.4000/-</td> </tr> <tr> <td>Centre for C & D</td> <td>Rs.6500/-</td> </tr> <tr> <td>Centre for A/B</td> <td>Rs.6000/-</td> </tr> <tr> <td>Centre for B(Upgraded centres)</td> <td>Rs.5000/-</td> </tr> </table> <p>2) <u>CENTRE RETENTION FEE:</u></p> <p><u>Category of Centre Fee</u> (for each subsequent year)</p> <table> <tr> <td>D</td> <td>Rs. 750/-</td> </tr> <tr> <td>A or B or C</td> <td>Rs.1500/-</td> </tr> <tr> <td>C&D</td> <td>Rs.2250/-</td> </tr> <tr> <td>B & C</td> <td>Rs.2500/-</td> </tr> <tr> <td>B,C&D</td> <td>Rs.3000/-</td> </tr> </table> <p>Centre retention fee will only be charged from those centres, who have been created for Middle, Matric examination after 1996 or up-graded for +1/+2 examination after 2001.</p> <p>The schedule of fees may be revised by the Board from time to time.</p> <p>8.5.2 During each year when the number of candidates for theory examination falls short of the prescribed limit of 70 candidates (60 candidates for tribal area) in respect of C & D category and 50 candidates (40 candidates for tribal area) in respect of A & B category centres, an extra fee @ Rs.30/- per short candidate for category D centres and Rs.70/- per short candidate for A, B & C category centres</p>	Centre for D	Rs.2500/-	Centre for C	Rs.4000/-	Centre for C & D	Rs.6500/-	Centre for A/B	Rs.6000/-	Centre for B(Upgraded centres)	Rs.5000/-	D	Rs. 750/-	A or B or C	Rs.1500/-	C&D	Rs.2250/-	B & C	Rs.2500/-	B,C&D	Rs.3000/-
Only for A	Rs.6000/-																																																										
Only for B	Rs.6000/-																																																										
C	Rs.4000/-																																																										
D	Rs.2500/-																																																										
C & D	Rs.6500/-																																																										
A	Rs.1500/-																																																										
for each subsequent year																																																											
B	Rs.1500/-																																																										
for each subsequent year																																																											
C	Rs.1500/-																																																										
for each subsequent year																																																											
D	Rs. 750/-																																																										
for each subsequent year																																																											
B&C	Rs.2500/-																																																										
for each subsequent year																																																											
C&D	Rs.2250/-																																																										
for each subsequent year																																																											
B, C&D	Rs.3000/-																																																										
for each subsequent year																																																											
Centre for D	Rs.2500/-																																																										
Centre for C	Rs.4000/-																																																										
Centre for C & D	Rs.6500/-																																																										
Centre for A/B	Rs.6000/-																																																										
Centre for B(Upgraded centres)	Rs.5000/-																																																										
D	Rs. 750/-																																																										
A or B or C	Rs.1500/-																																																										
C&D	Rs.2250/-																																																										
B & C	Rs.2500/-																																																										
B,C&D	Rs.3000/-																																																										

<p>examination falls short of the prescribed limit of 80 candidates for C & D category and 50 candidates for A & B category centres, an extra fee @ Rs.30/- per candidates for category D centres and Rs.70/- per candidates for A, B & C category centres will also be charged. Similarly for practical examination where extra fee @ Rs.30/- per candidate falling short of the prescribed limit of 20 candidates will be charged.</p>	<p>will also be charged. Similarly for practical examination where candidate falls short of the prescribed limit of 20 and centre demanded, an extra fee @ Rs.30/- per short candidate will be charged.</p>
--	---

सचिव

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला - 176700

क्रमांक:हि.शि.बो.(2)/सा०/बोर्ड 94वीं बैठक/मद 16 /09-5686-5815

दिनांक: 08.09.09

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं०16 के अन्तर्गत Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations 1994 के अध्याय 9 CONDUCT OF EXAMINATION के नियम 9.7 Clerical Assistance and Class-IV Staff के अनुमोदित (Approved Rule) नियम 9.7.2 को निम्न दर्शाये अनुसार लागू करने का निर्णय लिया:-

EXISTING RULE	APPROVED RULE
The Superintendent may also appoint a maximum of three Class IV employees viz one Chowkidar, one Sweeper and one Peon for smooth conduct of examination.	The Centre Co-ordinator/ Superintendent may also appoint 3 Class IV employees viz; one Chowkidar, one Sweeper and one Peon for smooth conduct of examination. If the number of candidates in a session is more than 300, one Class-IV (Peon) may be appointed for every 200 additional candidates.

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 17 के अन्तर्गत बोर्ड ने Himachal Pradesh Board of School Education Examination Regulations 1994 के अध्याय- 13 RE- CHECKING, RE-EVALUATION AND RECTIFICATION OF RESULTS के नियम 13.1 RECHECKING के अनुमोदित नियम (Approved Rule) 13.1.7 का निम्न दर्शाये अनुसार लागू करने का निर्णय लिया :-

EXISTING RULE	APPROVED RULE
13.1.7 The Answer book can be shown to the candidate if he is not satisfied with the result of Re- hecking of his answer book on payment of the prescribed fee of Rs. 500/- per answer book. At the time of showing the answerbook to the candidate a teacher of the subject concerned will also sit with the candidate who will try to satisfy the candidate. This facility shall be allowed for all subjects and all the examinations and there shall be no requirement of any percentage. None other than the candidate shall be authorised to see the answer books.	13.1.7 The Answer book can be shown to the candidate if he is not satisfied with the result of Re-Checking of his answer book on payment of the prescribed fee of Rs. 500/- per answer book. Such an application must be made by the candidate within 30 days from the date of dispatch of his re-checking result. At the time of showing the answerbook to the candidate a teacher of the subject concerned will also sit with the candidate who will try to satisfy the candidate. This facility shall be allowed for all subjects and all the examinations and there shall be no requirement of any percentage. None other than the candidate shall be authorised to see the answer books.

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 18 के अन्तर्गत हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्थानों को अन्य बोर्डों से संबद्धता प्राप्त करने के लिए दिये जाने वाले अनापति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) का शुल्क तथा निम्न दर्शाई शर्तों को पूरा करने पर अनापति प्रमाणपत्र (No Objection Certificate) जारी करने का निर्णय लिया।

1. केवल वही निजि शिक्षण संस्थान आवेदन करने के योग्य होंगे जिनको हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त किये लगभग 10 वर्ष का समय हो चुका हो।
2. निजि शिक्षण संस्थानों को स्कूल शिक्षा बोर्ड से अनापति प्रमाण पत्र के लिए सत्र समाप्ति के दो माह के अन्दर-अन्दर अर्थात् शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों को मास जनवरी-फरवरी तथा ग्रीष्मकालीन वाले विद्यालयों को मास अप्रैल-मई में आवेदन करना होगा।
3. अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संस्थानों को 5000/-रूपये (Non refundable) का शुल्क अदा करना होगा।
4. जिन संस्थानों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा एक बार अनापति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा उनकी संबद्धता अनापति प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि से रद्द समझी जायेगी तथा वह संस्थान आगामी तीन वर्ष तक हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को संबद्धता के लिए आवेदन नहीं कर पायेगा।

बोर्ड ने यह निर्णय भी लिया कि उपरोक्त शर्तों का समावेश संबद्धता रेगुलेशन-1996 में किया जाये।

सचिव

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला - 176700

क्रमांक:हि.शि.बो.(2)/सा०/बोर्ड 94वीं बैठक/मद 19 /09- 6076-6205

दिनांक: 08.09.09

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 19 के अन्तर्गत निम्न दर्शाये परीक्षा शुल्कों में वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह वृद्धि दिसम्बर-2009 की परीक्षाओं से लागू होगी।

पुराना निर्धारित शुल्क		नया अनुमोदित शुल्क	
English Only	Rs.100/-	English Only	Rs.200/-
Change of Examination Centre	Rs.100/-	Change of Examination Centre	Rs.500/-
Change of Subject (Private Candidate)	Rs.30/-	Change of Subject (Private Candidate)	Rs.100/-
Candidate appearing from outside the State of H.P.	Rs.100/-	Candidate appearing from outside the State of H.P.	Rs.500/-
For sending result in Confidential cover before its normal declaration	Rs.100/-	For sending result in Confidential cover before its normal declaration	Rs.500/-
Supply of any document concerned with UMC case for appeal etc.	Rs.100/-	Supply of any document concerned with UMC case for appeal etc.	Rs.500/-
One Additional Subject	Rs.100/-	One Additional Subject	Rs.200/-
Two Additional Subject (6 th & 7 th) (Per subject) for regular and private candidates	Rs.100/- (Per Subject)	Two Additional Subject (6 th & 7 th) (Per subject) for regular and private candidates	Rs.200/ (Per Subject)

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 20 के अन्तर्गत जमा दो कक्षा के ऐसे निजी शिक्षण संस्थान जिन्हें जमा दो कक्षा के किसी एक या दो ग्रुप की सम्बद्धता प्रदान की गई है, वह अन्य ग्रुप की सम्बद्धता प्राप्त करना चाहता है/आवेदन करते हैं, तो ऐसे मामलों को Extention in Stream का मामला मानते हुए कक्षा स्तरोन्नत के लिए निर्धारित शुल्क लागू करने का निर्णय लिया ।

बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि ऐसे मामलों में संस्थानों का नियमानुसार निरीक्षण भी करवाया जाए

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 21 के अन्तर्गत निजी शिक्षण संस्थान जिन्हें एक वर्ष के लिए सम्बद्धता/नवीनीकरण प्रदान की गई है, से सम्बन्धित दस्तावेजों को एक वर्ष (चालू सत्र के अतिरिक्त) तथा एक से अधिक वर्ष (3 या 5 वर्ष) की सम्बद्धता/नवीनीकरण प्रदान किये संस्थानों के दस्तावेजों को उतनी अवधि तथा ऑडिट करवाए जाने के पश्चात नष्ट किये जाने का निर्णय लिया।

बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि न्यायिक मामलो से सम्बन्धित दस्तावेज न्यायालय का निर्णय होने के पश्चात 6 माह तक सुरक्षित रखे जाएं।

सचिव

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला - 176700

क्रमांक:हि.शि.बो.(2)/सा०/बोर्ड 94वीं बैठक/मद 22 /09- ६७२६.६८५५ दिनांक: 08.09.09

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 22 के अन्तर्गत उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्ननिरीक्षण के कार्य के लिए निर्धारित दर रूपये 2/- को बढ़ाकर रूपये 3/- प्रति उत्तर-पुस्तिका प्रति निरीक्षक निर्धारित करने का निर्णय लिया ।

बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त दरें अनुपूरक परीक्षा सितम्बर, 2009 की उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्ननिरीक्षण के कार्य से प्रभावी होंगी ।

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 23 के अन्तर्गत अनुचित साधन अवरोधक (U.M.C.) समिति सदस्यों को अल्प जल-पान करवाने की दर रूपये 10/- को बढ़ाकर रूपये 20/- प्रति सदस्य प्रति-दिन निर्धारित करने का निर्णय लिया ।

बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त दरें अनुपूरक परीक्षा सितम्बर, 2009 से प्रभावी होंगी ।

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29-7-2009 की मद सं० 24 के अन्तर्गत पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण के समय मुद्रकों को हुई कठिनाईयों को मध्यनजर रखते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा मुद्रकों को प्रदान की गई छूट का अनुमोदन प्रदान करते हुए Himachal Pradesh Board of School Education Text Books Printing Regulations, 1992 के नियम -18 TIME LIMIT के उपनियम 18.3 का समावेश निम्न दर्शाए अनुसार करने का निर्णय लिया:-

18.TIME LIMIT:

18(3) The Chairman, shall have the power to extend the time limit of Printing of Text-Books and supply of Books at the Sale Depot concerned beyond 80 days on merits of the case.

सचिव

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला - 176700

क्रमांक:हि.शि.बो.(2)/सा०/बोर्ड 94वीं बैठक/मद 25 /09- 6856-6985 दिनांक: 08.09.09

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 25 के अन्तर्गत अनुलिपि प्रमाण पत्रों को जारी किये जाने में हो रही अत्याधिक वृद्धि तथा परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग की संभावना के दृष्टिगत अनुलिपि प्रमाण पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया को कठोर बनाकर एवं निर्धारित शुल्कों में वृद्धि कर निम्न दर्शाई गई अनुमोदित दरों को लागू करने का निर्णय लिया:-

क्रम सं०	प्रमाण पत्र का विवरण	वर्तमान निर्धारित दरें	अनुमोदित प्रक्रिया	अनुमोदित दरें
1.	पहली बार अनुलिपि प्रमाण पत्र (सभी कक्षाओं के लिए)	रूपये 200/-	-No Change-	रूपये 300/-
2.	दूसरी बार अनुलिपि प्रमाण पत्र (सभी कक्षाओं के लिए)	रूपये 300/-	दूसरी बार अनुलिपि प्रमाण पत्र प्रचलित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होने पर सचिव, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड की अनुमति के पश्चात केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से जारी किया जाएगा । (सभी कक्षाओं के लिए)	रूपये 600/-
3.	तीसरी बार अनुलिपि प्रमाण पत्र (भी कक्षाओं के लिए)	रूपये 600/-	तीसरी बार अनुलिपि प्रमाण पत्र प्रचलित प्रक्रिया के अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होने पर अध्यक्ष, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड की अनुमति के पश्चात केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से जारी किया जाएगा (सभी कक्षाओं के लिए)	रूपये 1200/-
4.	प्रवास प्रमाणपत्र (सभी कक्षाओं के लिए)	रूपये 150/-	-No Change-	रूपये 250/-
5.	अनुलिपि प्रवास प्रमाण पत्र (सभी कक्षाओं के लिए)	रूपये 200/-	-No Change-	रूपये 500/-
6.	पहली बार अनुलिपि फेल कार्ड/ कम्पार्टमैन्ट कार्ड (सभी कक्षाओं के लिए)	रूपये 100/-	-No Change-	रूपये 200/-
7.	दूसरी बार अनुलिपि फेल कार्ड/ कम्पार्टमैन्ट कार्ड (सभी कक्षाओं के लिए)	रूपये 125/-	-No Change-	रूपये 300/-

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 26 के अन्तर्गत उत्तर-पुस्तिकाओं को पुनर्निरीक्षण तथा पुनर्मूल्यांकन के लिए स्थल मूल्यांकन केन्द्रों में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध करवाने के लिए निर्धारित दर 50 पैसे प्रति उत्तरपुस्तिका को बढ़ाकर रुपये 2/- प्रति उत्तर-पुस्तिका निर्धारित करने का निर्णय लिया ।

बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त दरें दिसम्बर, 2008 की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं से प्रभावी होंगी ।

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 27 के अन्तर्गत स्थल मूल्यांकन केन्द्रों में कार्यरत अध्यापकों / बोर्ड स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जलपान की निर्धारित दर रूपये 10/- को बढ़ा कर रूपये 12/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन करने का निर्णय लिया ।

बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त दरें अनुपूरक परीक्षा सितम्बर, 2009 से प्रभावी होंगी ।

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 28 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन गठित सर्विस कमेटी की बैठक जो दिनांक 2.1.2009 को सचिवालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला में आयोजित हुई, की कार्यवाही को अनुमोदित करने का निर्णय लिया ।

बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि सर्विस कमेटी की सिफारिशों को मन्त्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है तथा बोर्ड समस्त कार्य अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के निर्देशानुसार करने के लिए सक्षम है।

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 29 के अन्तर्गत लोक सम्पर्क अधिकारी के भर्ती एवं पदोन्नति नियम को अनुमोदित करने का निर्णय लिया ।

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 30 के अन्तर्गत हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: हि.शि.बो.(1) संस्थापन/जी.एफ.-148/2000- 7024-93 दिनांक 22.8.2001 के अन्तर्गत C.C.S (CCA) Rules 1965 के अधीन विभागीय मामलों में पारित आदेशों पर प्रथम तथा द्वितीय अपील पर विचार करने के लिए, माननीय बोर्ड सदस्यों में से गठित उप समिति की दिनांक 9.7.2009 को प्रातः 10:30 बजे हुई बैठक की कार्यवाही पर विचार करने के पश्चात निम्न निर्णय लिये:-

- 30(1) बोर्ड ने मामले पर गहन विचार-विमर्श करने के पश्चात उप समिति द्वारा की गई सिफारिश को अनुमोदित करने का निर्णय लिया ।
- 30(2) बोर्ड ने मामले पर गहन विचार-विमर्श करने के पश्चात अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा को यथावत लागू रखने तथा उप समिति द्वारा की गई सिफारिश को रद्द करने का निर्णय लिया ।
- 30(3) बोर्ड ने मामले पर गहन विचार-विमर्श करने के पश्चात उप समिति द्वारा की गई सिफारिश को अनुमोदित करने का निर्णय लिया ।
- 30(4) बोर्ड ने मामले पर गहन विचार-विमर्श करने के पश्चात उप समिति द्वारा की गई सिफारिश को अनुमोदित करने का निर्णय लिया ।

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 31 के अन्तर्गत निदेशक (उच्चतर शिक्षा) उपाध्यक्ष, ने बोर्ड को अवगत करवाया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा In the Writ Petition (Civil) No.483/2004 दिनांक 13.04.2009 titled Avinash Mehrotra Vs Union of India & Ors के निर्णय/निर्देशों के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है, जिसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जाएंगे।

बोर्ड ने मामले पर निर्णय लिया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशों की प्राप्ति पर आगामी कार्यवाही की जाये।

सचिव

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी 94वीं बैठक दिनांक 29.7.2009 की मद सं० 32 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वित्त समिति की बैठक जो दिनांक 29.7.2009 को प्रातः 11 बजे बोर्ड परिसर धर्मशाला में आयोजित हुई, द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 के अनुमानित बजट भाग -1 प्राप्तियों रूपये 88,56,02,536/- तथा भाग-2 व्यय राशि रूपये 88,56,02,536 /- जिसकी प्रति संलग्न है, को अनुमोदित करने का निर्णय लिया।

बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि आगामी वर्ष से बोर्ड के बजट में आपातकालीन बजट शीर्ष का भी प्रावधान किया जाए तथा भवनों के निर्माण कार्य के लिए निर्धारित धन राशि को लोक निर्माण विभाग व अन्य विभाग को किस्तों में निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार ही जारी किया जाए।

सचिव